


हुकम या कार्यावाही मय इनिशियन्स जज
(212) 9/5/2022
गोपाल / इत्याण

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

वकील अशर्षी सं. 1 'निवेदन किया गया कि मूल
फावली में न्यायलय द्वारा शपथपत्र डिप्टी जारी
की जा चुकी है' अतः पक्षधरों को आस्थाई
निषेधाज्ञा दी जाकर नहीं किया जावे। वहस
अभयपक्षधर सुनी गई। पंथोकर सरकार द्वारा
जवाब अडतार कथन करते हुए राजहित उभावित
नहीं होना बताया। वकील प्रार्थी द्वारा उस्तुल शपथना
पत्र जवाब आ० पत्र तथा वहस अभयपक्षधरों
का पितेन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी
द्वारा आ० पत्र धारा 212 सं. का अधि. अंगुली
योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। वास्तविक
शराजीयात ग्राम माताजी का खेड़ा, परिवार क्लब
द्वारा (कल) 13 भू. अ. नि. क्षेत्र देवलिवाडको,
115. मिनाय स्मिथ खाता संख्या 24 में दर्ज
धरारा नम्बरान में मूल वाद के निस्तारण
तक राजस्व रिकॉर्ड 'स्वें मौके की यथा -
दिवसि बनाया रखने बाबल. ~~पक्ष~~ आदेश
पारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/1/2023

की करे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)